



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02112020-222904
CG-DL-E-02112020-222904

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3475]
No. 3475]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 2, 2020/ कार्तिक 11, 1942
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 2, 2020/KARTIKA 11, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2020

का.आ. 3939(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 78 (अ), तारीख 4 फरवरी, 1999 और का.आ. संख्या 239 (अ), तारीख 24 मार्च, 1998 द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (नया रारा -16) के 3.400किमी-75.000 किमी (विजयवाड़ा- इलुरु खंड), 75.000 किमी -395.870 किमी (विजयवाड़ा -विशाखापटनम खंड) और 354.775 कि.मी. से 434.150 कि.मी. (चिलकालूरीपेट-विजयवाड़ा) तक के खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपे है;

और यतः, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम (1998 का 68) की धारा 14 के अनुसरण में प्राधिकरण ने दिनांक 18 फरवरी 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ. 402(अ) के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में रारा - 5 (नया रारा -16) के गुंडूगोलानु (डिजाइन किमी 1022.494) से चिन्ना अवुतुपल्ली (डिजाइन किमी 1076.480 (पैकेज-1: गुंडूगोलानु-कालापारु खंड तथा पैकेज-II: हनुमान जंक्शन बाइपास सहित कालापारु-चिन्ना अवुतुपल्ली खंड), (कुल डिजाइन लंबाई=55.586 किमी) की विद्यमान 4 लेन सड़क को 6 लेन बनाने और रारा-5(नया रारा-16) के चिन्ना अवुतुपल्ली (1076.480 किमी)-कनका दुर्गम्मा वरधि (1100.694 किमी) खंड की विद्यमान 4 लेन सड़क को 6 लेन बनाने का करार

(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त करार कहा गया है) किया है। रियायतग्राही के टोलिंग अधिकारों के निलंबन उपरांत नवीन अधिसूचना के प्रकाशित होने तक भाराराप्रा द्वारा इसी अधिसूचना के अनुसार टोल प्रचालन जारी रखा गया है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त "नियम" कहा गया है), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अधिसूचना संख्या का.आ.402 (अ) दिनांक 18.02.2013 का अधिक्रमण करते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य में रारा-16(पुराना रारा-5) के गुंडगोलानु (किमी 1022.494) से कनका दुर्गम्मा वरधि (1100.694 किमी) के चार अथवा अधिक लेन के उपयोग हेतु निर्माणाधीन खंड के लिए यांत्रिक वाहनो पर 75% तथा शेष खंड के लिए सड़क खंड की लंबाई 79.800 किमी [सड़क खंड की निवल लंबाई 72.098 किमी; संरचनाओं (जिनकी लंबाई 60 मी से अधिक है) की लंबाई 0.9822 किमी जिनकी समकक्ष लंबाई 9.822 किमी तथा बाईपास जिनकी लंबाई 6.720 किमी और लागत दस करोड़ या उससे अधिक है, सहित] हेतु सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनो पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दरों का 100% पर शुल्क उद्धृत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारणी 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम ^०) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकर वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्धृत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा(प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगा: अर्थात्:-

सारणी 2					
क्रम सं	शुल्क प्लाजा का अवस्थान	लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है			
		निर्माण अवधि के दौरान		6लेन के निर्माण के पश्चात	
		सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
1	आंध्र प्रदेश राज्य के पश्चिमी गोदावरी जिले में कालापारु गाँव के	38.651किमी (60 मीटर से अधिक लम्बाई की संरचना को	सारणी 1-में उल्लिखित आधार दरों का 75%	33.531किमी (हनुमान जंक्शन बाइपास की लंबाई तथा 60	चार अथवा अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी 1-में

	निकट 1052.763 किमी पर	छोड़कर)		मीटर से अधिक लंबाई की संरचना को छोड़कर)	उल्लिखित आधार दरों का 100%
2	आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में पाटीपाडु गाँव के निकट 1072.230 किमी पर	14.886किमी (60 मीटर से अधिक लम्बाई की संरचना को छोड़कर)	ऊपर सारणी 1- में उल्लिखित आधार दरों का 75%	38.567किमी (60 मीटर से अधिक लम्बाई की संरचना को छोड़कर)	चार अथवा अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी 1-में उल्लिखित आधार दरों का 100%
		23.681किमी (60 मीटर से अधिक लम्बाई की संरचना को छोड़कर)	ऊपर सारणी 1- में उल्लिखित आधार दरों का 100%		
	कुल	77.218		72.098	

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

सारणी 3						
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	डिजाइन चैनेज			बाइपास की लंबाई (किमी में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		
आंध्र प्रदेश राज्य के पश्चिमी गोदावरी जिले में कालापारु गाँव के निकट 1052.763 किमी पर	बाइपास का नाम	शुरू होते हुए	मिलते हुए	निर्माण अवधि के दौरान	पैकेज-2 के 6 लेन के निर्माण के पश्चात	दर जिस पर शुल्क संदेय है
	हनुमान जंक्शन	0.000 (विद्यमान किमी 1060.800)	6.720 (विद्यमान किमी 1055.680)	शून्य	6.720	चार अथवा अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी 1-में उल्लिखित आधार दरों का 150 %
कुल				शून्य	6.720	

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध और संदेय होगा :

सारणी 4							
क्रम संख्या	शुल्क प्लाजा का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	लम्बाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है					
		निर्माण अवधि के दौरान			6लेन के निर्माण के पश्चात		
		सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
1	आंध्र प्रदेश राज्य के पश्चिमी गोदावरी जिले में कालापारु गाँव के निकट 1052.763 किमी पर	0.4492 ⁽ⁱ⁾	4.492	ऊपर सारणी 1-में उल्लिखित आधार दरों का 75%	0.4492 ⁽ⁱ⁾	4.492	चार अथवा अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी 1-में उल्लिखित आधार दरों का 100%
2	आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में पाटीपाडु गाँव के निकट 1072.230 किमी पर	0.533 ⁽ⁱⁱⁱ⁾	5.330	ऊपर सारणी 1-में उल्लिखित आधार दरों का % 100	0.533 ⁽ⁱⁱⁱ⁾	5.330	चार अथवा अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी 1-में उल्लिखित आधार दरों का 100%
	कुल	0.9822			0.9822	9.822	

i. टीपी के अंतर्गत 1052.763 किमी पर 60 मीटर से अधिक की लंबाई वाली संरचना का ब्यौरा निम्नलिखित है :

क्रम संख्या	चैनेज की शुरुआत	चैनेज की समाप्ति	संरचना का नाम	लम्बाई (किमी में)
1	1034.047	1034.136	आरओबी	0.0893
2	1049.788	1049.859	आरओबी	0.0712
3	1034.694	1034.823	बड़ा पुल	0.1292

4	1040.370	1040.530	बड़ा पुल	0.1596
			कुल	0.4492

ii. टीपी के अंतर्गत 1072.230 किमी पर 60 मीटर से अधिक की लंबाई वाली संरचना का ब्यौरा निम्नलिखित है :

क्रम संख्या	चेनेज की शुरुआत	चेनेज की समाप्ति	संरचना का नाम	लंबाई (किमी)
1	1083.566	1083.633	बड़ा पुल	0.067
2	1084.511	1084.729	बड़ा पुल	0.218
3	1089.122	1089.277	बड़ा पुल	0.155
4	1098.773	1098.866	बड़ा पुल	0.093
			कुल	0.533

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2020-2021 के लिए मासिक पास की दर 275.00/-रूपए (दो सौ पचहत्तर रूपए) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी 5		
संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	मान्यता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के नियम 10 के उप नियम 1ए के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. ऊपर सारणी-1में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. चार लेन राजमार्ग को छह लेन बनाने के उन्नयन के दौरान शुल्क दर नियम 4 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट शुल्क के पचहत्तर प्रतिशत तक सीमित होगी जिसकी गणना उन्नयन संबन्धित कार्य के प्रारम्भ होने की तारीख से परियोजना की समाप्ति तक के लिए की जाएगी और इसमें कोई वार्षिक संशोधन नहीं होगा।

12. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 1470.78 करोड़ रुपए है जिसमें से 12 % छूट देने के पश्चात 31.03.2020 तक उपभोक्ता शुल्क संग्रहण से 110.07 रुपए की पूंजी लागत की वसूली हुई है। पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जनउपयोगिता सेवाओं का- स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/ सीओ /20-21 / जीसी - गुंडुगोलानु- कनका दुर्गम्मा वरध्दि]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2020

S.O. 3939(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways [number S.O. 78(E), dated the 4th February, 1999 and S.O. 239(E), dated the 24th March, 1998] issued under section 11 of the National Highway Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretches (Km 3.400 – km 75.000 (Vijayawada – Eluru section), Km 75.000 – km 395.870 (Vijayawada-Vishakapatnam section) and km 354.775 – km 434.150 (Chilakaluripet-Vijayawada section) of National Highway Number-5 (New NH-16) in the state of Andhra Pradesh, to the National Highway Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, pursuant to the provision of section-14 of the National Highway Authority of India Act (68 of 1998) the Authority has entered into an Agreement (here in after referred to as said Agreement) of Six -Laning of Existing 4-Lane Road from Gundugolanu (Design Km 1022.494) to Chinna Avutupalli (Design Km 1076.480) (Pkg-I: Gundugolanu - Kalaparru Section And Pkg-II : Kalaparru – Chinna Avutupalli Section Including Hanuman JN Bypass) of NH-05 (New NH-16), (Total Design Length = 55.586 Km) and Existing 4-Lane Road from Chinna Avutupalli (Km 1076.480) – Kanaka Durgamma Varadhi (Km 1100.694) Section of NH-05 (New NH-16), in the State of Andhra Pradesh vide Notification No. S.O.402(E) dated 18th February 2013. Subsequent to the suspension of the tolling rights of the Concessionaire, the tolling operations has been continued by NHA as per this notification till publication of the instant notification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “Rules”) and in supersession of the notification No. 402(E) dated 18.02.2013, the Central Government hereby levies the fee on the mechanical vehicles at 75% for the stretch under construction and at 100% for the balance stretch at the rate specified in column (2) of the Table 1 for road section length of 79.800 Km. [including 72.098 Kms of net road length; 0.9822 km of structures (having length more than 60m) with equivalent length of 9.822 Km. and 6.720 Km length of bypass costing rupees ten crore or more] on the type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 below, for the use of the four and more lane of Gundugolanu (km 1022.494) to Kanaka Durgamma Varadhi (Km 1100.694) section of National Highways No.16 (Old NH-5) in the state of Andhra Pradesh and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table 1

S. No.	Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
	(1)	(2)
1	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
2	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
3	Bus or Truck (Two Axles)	2.2
4	Three-Axle commercial vehicles	2.4
5	Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
6	Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.2

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee plaza for the net road length specified for such Fee plazas namely:-

Table 2

S. No.	Location of Fee plaza (Design Chainage)	Length (in km) for which Fee payable			
		During Construction Period		After Construction of Six-laning	
		Road length (in Km)	Rate at which fee is payable	Road length (in Km)	Rate at which fee is payable
1	At Km 1052.763 near Kalaparru village in West Godavari District in the State of Andhra Pradesh	38.651 km (Excluding structures >60m length)	75% of the base rates mentioned in Table-1	33.531 km (Excluding length of Hanuman Junction Bypass and structures >60m length)	100% for four and more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
2	At Km 1072.230 near Pottipadu village in Krishna District in the State of Andhra Pradesh	14.886 (Excluding structures >60m length)	75% of the base rates mentioned in Table-1	38.567 (Excluding structures >60m length)	100% for four and more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
		23.681 (Excluding structures >60m length)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above		
	Total	77.218		72.098	

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs. 10 crore or more, at the following Fee Plaza, for net bypass length specified for such Fee Plaza(s):

Table 3

Location of Fee plaza (chainage)	Design Chainages			Length of bypass (in km) for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
	Name of Bypass	Taking off at	Merging at	During Construction Period	After Construction of Six-laning of Package-2	

At Km 1052.763 near Kalaparru village in West Godavari District in the State of Andhra Pradesh	Hanuman Junction	0.000 (existing km 1060.800)	6.720 (existing km 1055.680)	Nil	6.720	150% for four and more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
Total				Nil	6.720	

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than an equal 60 m at the following Fee plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Table 4							
S. No.	Location of Fee plaza (Design Chainage)	Length (in km) for which Fee payable					
		During Construction Period			After Construction of Six-laning		
		Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
1	At Km 1052.763 near Kalaparru village in West Godavari District in the State of Andhra Pradesh	0.4492 ⁽ⁱ⁾	4.492	75% of the base rates mentioned in Table-1 above,	0.4492 ⁽ⁱ⁾	4.492	100% for four and more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
2	At Km 1072.230 near Pottipadu village in Krishna District in the State of Andhra Pradesh	0.533 ⁽ⁱⁱ⁾	5.330	100% of the base rates mentioned in Table-1 above,	0.533 ⁽ⁱⁱ⁾	5.330	100% for four and more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
	Total	0.9822	9.822		0.9822	9.822	

i. The details of structures (> 60 m length) under TP at km 1052.763 are as under:

Sl. No.	Start chainage	End chainage	Name of the Structure	Length (in km)
1	1034.047	1034.136	ROB	0.0893
2	1049.788	1049.859	ROB	0.0712
3	1034.694	1034.823	Major Bridge	0.1292
4	1040.370	1040.530	Major Bridge	0.1596
			Total	0.4492

ii. The details of structures (> 60 m length) under TP at km 1072.230 are as under:

Sl. No.	Start chainage	End chainage	Name of the Structure	Length (in km)
1	1083.566	1083.633	Major Bridge	0.067
2	1084.511	1084.729	Major Bridge	0.218
3	1089.122	1089.277	Major Bridge	0.155

4	1098.773	1098.866	Major Bridge	0.093
			Total	0.533

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purpose and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs.275/- (Rupees Two Hundred and Seventy Five only) for the year 2020-21 which is subject to revision every year as per the provisions of National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

Table-5		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys or more	Fifty or more	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fees specified in rule 1A of rule 10 of the said rules and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rule.

10. Based on the Base rate of fee per km. for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed portion of the length of the project highway and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language.

11. During the process of upgradation of the four- lane highway to six-laning, the rate of fee shall be limited to seventy-five percent of the fees as specified in sub- rule (2) of rule 4 calculated on and from the date of commencement of the work relating to upgradation, till the date of completion of the project, without any annual revision.

12. The estimated capital cost of the Project is Rs. 1470.78 crore. Out of which, the Capital Cost recovered from user fee collection is Rs. 110.07 Cr. after discounting at 12% as on 31.03.2020. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/CO/20-21/GC-Gundugolanu-KanakaDurgammaVaradhi]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.